

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

E-mail - dfo.rao@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक/माधि/541
प्रति,

रायसेन, दिनांक 24/03/2018

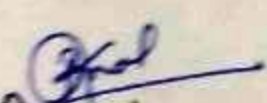
कलेक्टर,
(आदिम जाति कल्याण विभाग)
जिला रायसेन।

- विषय :- म0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा ग्राम खरबई तहसील व जिला रायसेन में चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के संबंध में।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/2120 दिनांक 15.11.2017 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माधि/389 दिनांक 24.02.2018

— 00 —

अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा ग्राम खरबई तहसील व जिला रायसेन में चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर बनाने के संबंध में उपयोग में आ रही 7.350 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA) के तहत वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा चाहा जा रहा है।

तत्संबंध में अनुरोध है कि उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा 150 हेक्टेयर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस हेतु कृपया अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA) के तहत वन भूमि के निर्वनीकरण प्रस्ताव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 150 हेक्टेयर का (FRA) प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।


क्षेत्रीय प्रबंधक

म0प्र0 ईको पर्यटन विकास बोर्ड एवं
वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन